

I/3099246/2024

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

No.2024/AC-I/6/1

RBA No. 21/2024
New Delhi, dated: 02-07-2024

The General Managers,
All Indian Railways & PUs etc.

Sub: ACS for modification in Explanatory Notes 1110, 1111, 1112 and 1113 of
IRFC Vol. II.

The allocation of expenditure on surveys is governed by the guidelines given in Para 724 of IRFC Volume-I and
Explanatory Notes - 1110 and 1111, 1112, 1113 of IRFC Volume-II.

2. The matter has been reviewed and the Ministry of Railways has decided to amend Explanatory Notes - 1110 and
1111, 1112, 1113 of IRFC Volume-II (regarding allocation of the expenditure on Surveys) as per Advance Correction Slip
No 09 (copy enclosed).

3. Contents of the correction slip may be circulated suitably for information and compliance.

4. Please acknowledge the receipt.

DA: As above

Signed by

Vipul Tripathi

(Vipul Tripathi)

Director Accounts

Date: 02-07-2024 17:52:25 Railway Board

No.2024/AC-I/6/1

New Delhi, dated: -07-2024

Copy to:

- Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.
- PFAs, Indian Railways.
- FA & CAO(C)s, Indian Railways
- AC-II, AC-III, AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection, Accounts Appropriation, Finance (Budget), Pay &
Accounts/Rly Bd.
- RBCC for uploading in Accounts Compendium-2024
- OSD/MR/OSD/Coord to MR, Additional PS/MR

I/3099246/2024

Advance Correction Slip No. 09

Indian Railway Financial Code Volume-II (Second Reprint Edition 2022)

Classification of Capital and Other Works Expenditure (Appendix-II)

Please modify Plan Head 1100 as follows:-

Details	Existing	Revised
IRFC Volume-II Explanatory Notes-1110	Preliminary expenses of all kinds connected with all surveys including the Final location Survey of the line, preparation of plans and estimates for the project and administrative and general charges are initially charged to "3001-Indian Railways- Policy, Formulation, Direction, Research and other Misc. Organisations - Surveys" and transferred to this head when the project is undertaken.	Preliminary expenses of all kinds connected with all surveys including the Final location Survey of the line, preparation of plans and estimates for the project and administrative and general charges, Preconstruction Activities for fast tracking execution of multi-tracking projects under three Economic Corridors (i.e. Energy, Mineral & Cement Corridors, High Traffic Density Routes and Rail Sagar Corridors), are initially charged to "3001-Indian Railways- Policy, Formulation, Direction, Research and other Misc. Organisations - Surveys" and transferred to this head when the project is sanctioned by Competent Authority.
IRFC Volume-II Explanatory Notes-1111, 1112, 1113	All preliminary expenses relating to surveys including Final Location Surveys are initially charged to "3001 - Indian Railways Policy, Formulation, Direction, Research and other Misc. Organisations - Surveys" and transferred to this head when the project is undertaken.	All preliminary expenses relating to surveys including Final Location Surveys, Preconstruction Activities for fast tracking execution of multi-tracking projects under three Economic Corridors (i.e. Energy, Mineral & Cement Corridors, High Traffic Density Routes and Rail Sagar Corridors) are initially charged to "3001 - Indian Railways Policy, Formulation, Direction, Research and other Misc. Organisations - Surveys" and transferred to this head when the project is sanctioned by Competent Authority.

(Authority: Board's letter no. 2024/AC-1/6/1 dated 02-07-2024)

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए सं. 21/2024

सं.2024/एसी-1/6/1

नई दिल्ली, दिनांक : 02.07.2024

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ आदि।

विषय: भारतीय रेल वित्त संहिता भाग-II की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - 1110, 1111, 1112 एवं 1113 में संशोधन हेतु अग्रिम शुद्धि पर्ची।

सर्वेक्षणों के आधार पर व्यय का आबंटन भारतीय रेल वित्त संहिता भाग-I के पैरा -724 और भारतीय रेल वित्त संहिता भाग-II की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-1110, 1111, 1112 एवं 1113 में दिए गए दिशा-निर्देशों द्वारा शासित किया जाता है।

2. मामले की समीक्षा की गई है और रेल मंत्रालय ने अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 09 (प्रति संलग्न) के अनुसार भारतीय रेल वित्त संहिता भाग-II की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ-1110, 1111, 1112 एवं 1113 में संशोधन किए जाने का विनिश्चय किया है।

3. शुद्धि पर्ची की विषय-वस्तु को कृपया सूचना एवं अनुपालन हेतु यथोचित रूप से परिपत्रित किया जाए।

4. कृपया पत्र की पावती दें।

संलग्नक : यथोक्त।

(बिपुल त्रिपाठी)
निदेशक, लेखा
रेलवे बोर्ड

सं.2024/एसी-1/6/1

नई दिल्ली, दिनांक : 02.07.2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, भारतीय रेलें।
3. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (नि.), भारतीय रेलें।
4. लेखा-II, लेखा-III, लेखा-IV संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, वित्त (बजट), वेतन एवं लेखा/रेलवे बोर्ड।
5. लेखा सार-संग्रह-2024 में अपलोड करने हेतु आरबीसीसी।
6. विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, रेल मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी/समन्वय, अपर निजी सचिव/रेल मंत्री।

भारतीय रेल वित्त संहिता भाग-II (द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण 2022)
पूंजी और अन्य निर्माण-कार्य व्यय का वर्गीकरण (परिशिष्ट-II)

कृपया योजना शीर्ष 1100 को निम्नानुसार संशोधित करें:-

विवरण	मौजूदा	संशोधित
भारतीय रेल वित्त संहिता भाग-II व्याख्यात्मक टिप्पणी- 1110	लाइन के अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण सहित सभी सर्वेक्षणों और परियोजनाओं के लिए नक्शे और प्राक्कलन तैयार करने से संबंधित सभी प्रकार के प्रारंभिक व्यय तथा प्रशासनिक और सामान्य प्रभार प्रारंभ में "3001-भारतीय रेल-नीति, निर्धारण, निर्देशन, अनुसंधान और अन्य विविध संगठन-सर्वेक्षण" को प्रभारित किए जाते हैं और परियोजना शुरू होने पर इस शीर्ष में अंतरित कर दिए जाते हैं।	लाइन के अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण सहित सभी सर्वेक्षणों और परियोजनाओं के लिए नक्शे और प्राक्कलन तैयार करने से संबंधित सभी प्रकार के प्रारंभिक व्यय तथा प्रशासनिक और सामान्य प्रभार, तीन आर्थिक गलियारों (अर्थात् ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारे, उच्च यातायात घनत्व मार्ग और रेल सागर गलियारे) के अंतर्गत आने वाली मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं के फास्ट ट्रैकिंग निष्पादन के लिए निर्माण पूर्व गतिविधियां प्रारंभ में "3001-भारतीय रेल-नीति, निर्धारण, निर्देशन, अनुसंधान और अन्य विविध संगठन-सर्वेक्षण" को प्रभारित की जाती हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत हो जाने पर इस शीर्ष में अंतरित कर दी जाती हैं।
भारतीय रेल वित्त संहिता भाग-II व्याख्यात्मक टिप्पणियां- 1111, 1112, 1113	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षणों सहित, सर्वेक्षणों से संबंधित सभी प्रारंभिक व्यय "3001-भारतीय रेल-नीति, निर्धारण, निर्देशन, अनुसंधान और अन्य विविध संगठन-सर्वेक्षण" को प्रभारित किए जाते हैं और परियोजना शुरू होने पर इस शीर्ष में अंतरित कर दिए जाते हैं।	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षणों सहित, सर्वेक्षणों से संबंधित सभी प्रारंभिक व्यय, तीन आर्थिक गलियारों (अर्थात् ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारे, उच्च यातायात घनत्व मार्ग और रेल सागर गलियारे) के अंतर्गत आने वाली मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं के फास्ट ट्रैकिंग निष्पादन के लिए निर्माण पूर्व गतिविधियां प्रारंभ में "3001-भारतीय रेल-नीति, निर्धारण, निर्देशन, अनुसंधान और अन्य विविध संगठन-सर्वेक्षण" को प्रभारित की जाती हैं और परियोजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत हो जाने पर इस शीर्ष में अंतरित कर दी जाती हैं।

(प्राधिकार : बोर्ड का दिनांक 02.07.2024 का पत्र संख्या 2024/एसी-1/6/1)